



EMBLEM
FORM 'F'

[See clause 15(2) and 18 (2)]

Sl. No. : 313

Book No. : I

Certificate No. 313

Date of Issue... 17/05/2017

Valid up to ... 16/05/2020

**Certificate of Manufacture in Respect of
Physical/Granulated Mixture/Organic Fertilizer/Bio-Fertilizer**

M/S Shree Balajee Agrachem, Muzaffarpur

..... (Name of Manufacturer) is hereby given the certificate for manufacture of the physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer specified below subject to the terms and conditions of this certificate and to the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985.

Full Particulars of the granulated/physical mixture of fertilizers, organic fertilizer/bio fertilizer

Date : Micro Nutrient Mixture AS per Bihar Grade

Seal : (Specification as per Notification No. 617 Dated 4.5.2010)

Full address of the premises where the mixture of fertilizer or mixture of micronutrient fertilizers. Fertilizer/bio fertilizer will be made.

M/S Shree Balajee Agrachem, D-3, Industrial Area, Bela, Muzaffarpur - 842005

Registering Authority :

State : Bihar

Renewed up to :

Date :

Registering Authority :

Seal :

Amrit Khatun

State : Bihar

A. S. Jha
11.5.17
**DIRECTOR OF AGRICULTURE
CUM**

REGISTERING AUTHORITY, GOVT OF BIHAR PATNA

Terms and conditions of this certificate

- (1) The holder of this certificate shall display the original thereof in a conspicuous place open to the public in a part of the principal's premises in which business of making the physical/ granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer is carried on and also a copy of such certificate in similar manner in every other premises in which that business is carried on. The required number of copies of the certificate shall be obtained on payment of the fees thereof.
- (2) The holder of this certificate shall not keep in the premises in which he carries on the business of making physical/granulated mixture of bio fertilizers/organic fertilizer in respect of which a certificate of registration has not been obtained under the Fertilizer (Control) Order, 1985.
- (3) The holder of this certificate shall comply with the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and the notification, order and direction. issued there-under for the time being in force.
- (4) The holder of the certificate shall report forth with to the Registering Authority any emerge in the premises specified in the certificate or any new premises in which carried on the business of making physical/ granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer and shall produced before the authority the original certificate and copies thereof show that necessary correction may be made therein by that authority.
- (5) The holder of the certificate shall insure that the physical/granulated mixture/ organic fertilizer/ bio fertilizer in respect of which a certificate of registration has been obtained his prepared by him or by a person having such qualification as may be prescribed by the State Government from time to time or by any other person under the direction, supervision and control of the holder or the person having the said qualifications.
- (6) The certificate and copies there of if any, will be machine numbered and delivered against the signature of the holder there of or his agent on the Carbon copy of the certificate which will be kept intact bound in the certificate book" by each Registering Authority.

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
उर्वरक प्रशाखा

पत्र संख्या= उ0को0/ अनु0-10/2014

375

/कृ0, पटना, दिनांक

17/05/2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०ष०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना

सेवा में,

मे० बालाजी एग्रोकेम,
डी-3, इंडस्ट्रीयल एरिया,
बेला मुजफ्फरपुर, बिहार

विषय :
महाशय,

जैव उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के पत्र में कहना है कि आपके जैव उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र सं० 313 दिनांक 17/05/2017 वेधता तिथि 16/05/2017 को निर्गत किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सभी धाराओं का आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत घोषित उर्वरक निरीक्षक समय-समय पर उर्वरक के नमूने जाँच हेतु लेंगे तथा आपके प्रतिष्ठान की प्रयोगशाला सुविधा एवं आपके द्वारा संधारित अभिलेखा की जाँच करेंगे।
2. आपके बफर स्टोडाम का भंडार पंजी एवं विक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 4806 दिनांक 29.10.2013 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. यदि किसी कारणवश विनिर्माण कार्य बंद किया जाना है तो इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी तथा कृषि निदेशक, बिहार को अविलंब दिया जाय। इसी प्रकार विनिर्माण कार्य प्रारम्भ करने की भी सूचना अविलंब दोनों पदाधिकारी को पूर्व में ही दी जाय।
6. प्रत्येक माह के 10 तारीख को विनिर्माण एवं विपणन संबंधी प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. यदि स्थल जाँच प्रतिवेदन प्रतिकूल पाया गया तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी।
8. उपरोक्त किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र निलंबित/रद्द किया जा सकेगा एवं इस आधार पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण भी अस्वीकृत किया जा सकता है।
9. आप ट्रायल उत्पान कर इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को देंगे।

विश्वासमयानु

16.5.17

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक

17/05/2017

नामांक 375

प्रतिलिपि - जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरकों का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार)

(शशि प्रो सिंह)

(श्याम रमण)

(डा० राजेश कुमार)

16.5.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

उपस्थित

पराशर पदा

उप निदेशक(राज्य)

संयुक्त निदेशक (राज्य)- फसल एवं प्रक्षेत्र

अनुपालन/परिपालन